



प्रो. अरविन्द कुमार शुक्ला  
कुलगुरु  
**Prof. Arvind Kumar Shukla**  
Vice-Chancellor


राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय  
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) – 474002  
**Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya,**  
Raja Pancham Singh Marg, Gwalior (M.P.) – 474 002  
(An ISO Certified 9001:2008)  
Tel: 0751 – 2970502, Fax: 0751 – 2970504,  
E-mail: vcrvsaugwa@mp.gov.in; vc@rvskvv.net

No./VC/2024-25/1484  
Date: 29/08/24

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

This is to certify that the university-bred plant varieties are making substantial contributions to science and society, similar to those achieved through patented inventions. These contributions have significant economic, environmental, and societal impacts, aligning with the goals of UGC and NAAC in recognizing meaningful research outputs.

As the Vice Chancellor of RVSKVV, Gwalior, I hereby affirm the recognition of the Sui generis system offers under the PPVFR Act, 2001 for the protection of university-bred plant varieties under patent section in the UGC NAAC framework due to their nature as intellectual property, their contribution to innovation and research, and their alignment with the broader goals of recognizing and fostering diverse research outputs. I hereby also affirm the registration of "**Raj Vijay**" as a trademark and authorize its use in accordance with the policies and guidelines established by the university.

  
(Arvind Kumar Shukla)

# कार्यालय उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला झाबुआ (म.प्र.)


veterinjha@nic.in, ddvs.ahjha@mp.gov.in, phone no. 07392-244354

क्रमांक 1631 / योजना / 2024-25 /

झाबुआ दिनांक 25.06.2024

// प्रमाण-पत्र //

यह प्रमाणित किया जाता है कि कड़कनाथ ब्रीड की जी.आई टैगिंग हेतु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, झाबुआ द्वारा कड़कनाथ ब्रीड पर आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने एवं कड़कनाथ ब्रीड की उत्पत्ति के ऐतिहासिक अभिलेखों तथा ब्रीड की विशिष्ट विशेषताओं के आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने एवं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराकर जी.आई टैग प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग किया गया।

  
उप संचालक  
पशुपालन एवं डेयरी विभाग  
जिला झाबुआ (म.प्र.)  
फोन 1903502001

प्ररूप 0-2



बौद्धिक  
सम्पदा भारत



सत्यमेव जयते

FORM 0-2



INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री  
Geographical Indication Registry

वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999  
Geographical Indication of goods (Registration and Protection) Act, 1999

धारा 16 (1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अथवा धारा 17 (3) (ई) के अधीन प्राधिकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र  
Certificate of Registration of Geographical Indication under section 16 (1) or of authorised user under section 17(3)(e)

भौगोलिक उपदर्शन संख्या:

Geographical Indication No.: 378

CERTIFICATE NO. 321

प्राधिकृत उपयोक्ता संख्या  
Authorised user No.:

दिनांक  
Date : 08.02.2012

प्रमाणित किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन (जिसकी समाकृति इसाके साथ उपाबद्ध है) / प्राधिकृत उपयोक्ता

के नाम से वर्ग में संख्या के अधीन दिनांक को

के लिए रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

Certified that the Geographical Indication (of which a representation is annexed hereto)/ authorised user has been registered in the register in the name of

Gramin Vikas Trust, (Established & Supported by KRIBHCO-Government of India)  
Shiv Villa, Ramkrishna Nagar, Jhabua – 457661 Madhya Pradesh, India. Facilitated by: Department  
of Animal Husbandry, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

in class 29 under no. 378 as of the date 08.02.2012  
in respect of "Jhabua Kadaknath Black Chicken Meat" Falling in Class – 29 – Poultry Meat



आज दिनांक माह 20 को चेन्नई में मेरे निदेश पर मुद्रांकित किया गया।

Scaled at my direction this 30<sup>th</sup> day of July 20 18 at Chennai.

*OKrupali*

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन  
Registrar of Geographical Indication.

# Certificate of Registration

This is to Certify That  
Environmental Management System of

**RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI  
VISHWAVIDYALAYA**

RACE COURSE ROAD, GWALIOR, MADHYA PRADESH - 474002,  
INDIA

has been assessed and found to conform to the requirements of  
**ISO 14001:2015**  
for the following scope :

PROVIDING ADMINISTRATIVE SUPPORT FOR THE EDUCATION, RESEARCH  
AND EXTENSION ACTIVITIES FOR ENHANCING PRODUCTIVITY  
OPTIMIZATION OF PROFIT AND SUSTAINABILITY OF AGRICULTURE  
PRODUCTION SYSTEM.

Certificate No : 24MEEST07  
Initial Registration Date : 18/05/2024 Issuance Date : 18/05/2024  
Date of Expiry : 17/05/2027  
1st Surve. Due : 18/04/2025 2nd Surve. Due : 18/04/2026

  
DIRECTOR

**Magnitude Management Services Pvt. Ltd.**



Third Floor, A-60, Sector-2, Noida, Gatedon Budh Nagar, U.P.-201301, India. e-mail: [info@mmscertification.com](mailto:info@mmscertification.com), website: [www.mmscertification.com](http://www.mmscertification.com)  
\*Subject to Successful Surveillance Audit or surveillance audit is not allowed to be conducted, this certificate shall be suspended/withdrawn  
Certificate Verification: Please check the validity of certificate at <http://www.mmscertification.com/active-clients.aspx> or [www.mmscertification.com](http://www.mmscertification.com) or Active Client  
Certificate is the property of Magnitude Management Services Pvt. Ltd. and shall be returned immediately when demanded.

FORM XIV  
APPLICATION FOR REGISTRATION OF COPYRIGHT  
[SEE RULE 70]

Diary Number: 17027/2024-CO/A

To

The Registrar of Copyrights,  
Copyright Office,  
Department of Industrial Policy & Promotion,  
Ministry of Commerce and Industry,  
Boudhik Sampada Bhawan,  
Plot No. 32, Sector 14, Dwarka,  
New Delhi-110075  
Email Address: copyright@nic.in  
Telephone No.: (Office) 011-28032496, 08929474194  
Sir,

In Accordance with Section 45 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby apply for registration of Copyright and request that entries may be made in the Register of Copyrights as in the enclosed Statement of Particulars.

1. I also send herewith duly completed the Statement of further Particulars relating to the work. (for Literary/Dramatic, Musical, Atristic works only) **Artistic works**

2. In accordance with rule 16 of the Copyright Rules, 1958, I have sent by prepaid registered post copies of this letter and of the Statement of Particulars and Statement of Further Particulars to other parties concerned as shown below:

| Name of Party           | Address of Party                                      | Date of Dispatch |
|-------------------------|---|------------------|
| DR.NARENDRA CHOUHAN     | AGRICULTURE SCIENCES, SAGE UNIVERSITY, INDORE -452020 |                  |
| DR. SANJAY KUMAR SHAFMA | DRS, RVSKVV GWALIOR, MADHYA PRADESH -474002           |                  |
| DR. DEEPAK K SINHA      | AGRICULTURE SCIENCES, SAGE UNIVERSITY, INDORE -452020 |                  |

[See columns 7,11,12, and 13 of the Statement of Particulars and party referred in col.2 (e) of the Statement of Further Particulars.]

3. The prescribed fee has been paid, as per details below: **500/-**

| Payment ID | Payment Date | Amount | Bank Name | Payment Mode |
|------------|--------------|--------|-----------|--------------|
| 352897     | 28/05/2024   | 500    |           |              |

4. Communications on this subject may be addressed to:

**DR.NARENDRA CHOUHAN**  
**AGRICULTURE SCIENCES, SAGE**  
**UNIVERSITY, INDORE -452020-**  
**452020**

5. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, no person, other than to whom a notice has been sent as per paragraph 2 above any claim or interest or dispute to my copyright of this work or its use by me.


6. I hereby verify that the particulars given in this Form and the Statement of Particulars and Statment of Further Particulars are true to the best of my knowledge, belief and information and nothing has been concealed there from.

**List of Enclosures:**

1. 2 Copies of Work
2. DD/IPO of Rs.500 Per Work
3. Authorization from author
4. Search Certificate from Trade Mark Office (TM -60)

5. If the application is being filed through attorney , a specific Power of Attorney in original duly signed by the applicant and accepted by the attorney

Place:

Date: **28/05/2024**For : **DR.NARENDRA CHOUHAN**


Proprietor



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253429  
CG-DL-E-28032024-253429

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479]  
No. 1479]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

का.आ. 1560(अ).—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का संख्यांक 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय बीज समिति के परामर्श के पश्चात यह मत है कि उक्त सारणी के स्तम्भ संख्या (2) के अधीन संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना जरूरी और समीचीन है, घोषणा की जाती है कि बीजों की उक्त किस्में बीज उत्पादन के लिए पूरे भारत के लिए अधिसूचित होंगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि के प्रयोजन के लिए इनकी बिक्री की जाएगी, अर्थात:-

## सारणी

| क्र. सं. | किस्म | प्रकार                    | किस्म/संकरकिस्म का नाम | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र       |
|----------|-------|---------------------------|------------------------|---|
| (1)      | (2)   | (3)                       | (4)                    | (5)   |
| 1.       | चावल  | सीआर धान 211(आईईटी 29411) | खुली परागण वाली किस्म  | ओडिशा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ |
| 2.       | चावल  | सीआर धान 212(आईईटी 29424) | खुली परागण वाली किस्म  | ओडिशा, बिहार और झारखंड                                |

|      |            |  |                       |  |
|------|------------|--|-----------------------|--|
|      |            |  |                       | प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना  |
| 138. | तिल        | सबौर तिल - 1 (बीआरटी-04)                                   | खुली परागण वाली किस्म | बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश  |
| 139. | तिल        | तिलहन टेक तिल-1 (आईआईओएस-1101)                             | खुली परागण वाली किस्म | कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु                              |
| 140. | रामतिल     | जेएनएस 2017-13   | खुली परागण वाली किस्म | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड         |
| 141. | अलसी       | एसएचए-5 (एसयूएटीएस अलसी-5) (एसएचए-5)                       | खुली परागण वाली किस्म | उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड को छोड़कर), बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल असम                         |
| 142. | अलसी       | बीयूएटीअलसी-5 (एलएमएस 2017-1-12)                           | खुली परागण वाली किस्म | हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू  |
| 143. | अलसी       | अनु (एलसीके 1021)  | खुली परागण वाली किस्म | उत्तर प्रदेश   |
| 144. | अरंडीकेबीज | तिलहन टेक आईसीएच-6 (आईसीएच-1146)                           | संकर                  | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा                |
| 145. | काबुली चना | पूसा चना 3057 (बीजी 3057)                                  | खुली परागण वाली किस्म | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली   |
| 146. | काबुली चना | राज विजय ग्राम 2के21 (आरबीजी2के21) (आरबीएसएसजी61)          | खुली परागण वाली किस्म | मध्य प्रदेश  |
| 147. | काबुली चना | राज विजय काबुली ग्राम 2021 (आरबीकेजी 2021) (आरबीएसएसजी 62) | खुली परागण वाली किस्म | मध्य प्रदेश  |
| 148. | काबुली चना | सोरथ काबुली 2 (गुजरात काबुली ग्राम 2)                      | खुली परागण वाली किस्म | गुजरात   |
| 149. | काबुली चना | सात्विक(एनसी 9)  | खुली परागण वाली किस्म | गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र     |
| 150. | काबुली चना | कुंदन(आईपीसीबी 2015-132)                                   | खुली परागण वाली किस्म | पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम                                     |
| 151. | काबुली चना | स्वर्ण लक्ष्मी (डीबीजीसी 3)                                | खुली परागण वाली किस्म | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम  |
| 152. | काबुली चना | कोटा देसी चना 2 (आरकेजीएम20-1)                             | खुली परागण वाली किस्म | आंध्र प्रदेश और कर्नाटक  |
| 153. | काबुली चना | कोटा देसी चना 3 (आरकेजीएम20-2)                             | खुली परागण वाली किस्म | असम, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल  |
| 154. | काबुली चना | गुजरात ग्राम 8 (जीजेजी 1913)                               | खुली परागण वाली किस्म | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253429  
CG-DL-E-28032024-253429

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479]  
No. 1479]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

का.आ. 1560(अ).—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का संख्यांक 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय बीज समिति के परामर्श के पश्चात यह मत है कि उक्त सारणी के स्तम्भ संख्या (2) के अधीन संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना जरूरी और समीचीन है, घोषणा की जाती है कि बीजों की उक्त किस्में बीज उत्पादन के लिए पूरे भारत के लिए अधिसूचित होंगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि के प्रयोजन के लिए इनकी बिक्री की जाएगी, अर्थात:-

## सारणी

| क्र. सं. | किस्म | प्रकार                    | किस्म/संकरकिस्म का नाम | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र       |
|----------|-------|---------------------------|------------------------|---|
| (1)      | (2)   | (3)                       | (4)                    | (5)   |
| 1.       | चावल  | सीआर धान 211(आईईटी 29411) | खुली परागण वाली किस्म  | ओडिशा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ |
| 2.       | चावल  | सीआर धान 212(आईईटी 29424) | खुली परागण वाली किस्म  | ओडिशा, बिहार और झारखंड                                |



|      |            |  |                       |  |
|------|------------|--|-----------------------|--|
|      |            |  |                       | प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना  |
| 138. | तिल        | सबौर तिल - 1 (बीआरटी-04)                                   | खुली परागण वाली किस्म | बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश  |
| 139. | तिल        | तिलहन टेक तिल-1 (आईआईओएस-1101)                             | खुली परागण वाली किस्म | कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु                              |
| 140. | रामतिल     | जेएनएस 2017-13   | खुली परागण वाली किस्म | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड         |
| 141. | अलसी       | एसएचए-5 (एसयूएटीएस अलसी-5) (एसएचए-5)                       | खुली परागण वाली किस्म | उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड को छोड़कर), बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल असम                         |
| 142. | अलसी       | वीयूएटीअलसी-5 (एलएमएस 2017-1-12)                           | खुली परागण वाली किस्म | हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू  |
| 143. | अलसी       | अनु (एलसीके 1021)  | खुली परागण वाली किस्म | उत्तर प्रदेश   |
| 144. | अरंडीकेबीज | तिलहन टेक आईसीएच-6 (आईसीएच-1146)                           | संकर                  | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा                |
| 145. | काबुली चना | पूसा चना 3057 (बीजी 3057)                                  | खुली परागण वाली किस्म | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली   |
| 146. | काबुली चना | राज विजय ग्राम 2के21 (आरवीजी2के21) (आरवीएसएसजी61)          | खुली परागण वाली किस्म | मध्य प्रदेश  |
| 147. | काबुली चना | राज विजय काबुली ग्राम 2021 (आरवीकेजी 2021) (आरवीएसएसजी 62) | खुली परागण वाली किस्म | मध्य प्रदेश  |
| 148. | काबुली चना | सोरथ काबुली 2 (गुजरात काबुली ग्राम 2)                      | खुली परागण वाली किस्म | गुजरात   |
| 149. | काबुली चना | सात्विक(एनसी 9)  | खुली परागण वाली किस्म | गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र     |
| 150. | काबुली चना | कुंदन(आईपीसीबी 2015-132)                                   | खुली परागण वाली किस्म | पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम                                     |
| 151. | काबुली चना | स्वर्ण लक्ष्मी (डीबीजीसी 3)                                | खुली परागण वाली किस्म | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम  |
| 152. | काबुली चना | कोटा देसी चना 2 (आरकेजीएम20-1)                             | खुली परागण वाली किस्म | आंध्र प्रदेश और कर्नाटक  |
| 153. | काबुली चना | कोटा देसी चना 3 (आरकेजीएम20-2)                             | खुली परागण वाली किस्म | असम, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल  |
| 154. | काबुली चना | गुजरात ग्राम 8 (जीजेजी 1913)                               | खुली परागण वाली किस्म | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात |



INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

क्रमांक : 022123923  
SL No :



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पेटेंट कार्यालय  
THE PATENT OFFICE  
पेटेंट प्रमाणपत्र  
PATENT CERTIFICATE  
(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 429084  
आवेदन सं. / Application No. : 202221026571  
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 07/05/2022  
पेटेंटी / Patentee : 1.TIRUNIMA PATLE 2.DR. SANJAY SHARMA

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित "A NATURAL AGRO-PRODUCT COMPRISES NANO-GYPSUM, BIOCHAR & BIOMES AND THE PROCESS THEREOF FOR RECLAMATION OF SALT AFFECTED SOILS" नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख मई 2022 के सातवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled "A NATURAL AGRO-PRODUCT COMPRISES NANO-GYPSUM, BIOCHAR & BIOMES AND THE PROCESS THEREOF FOR RECLAMATION OF SALT AFFECTED SOILS" as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 7<sup>th</sup> day of May 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 17/04/2023  
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक  
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, मई 2024 के सातवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

**Note.** - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 7<sup>th</sup> day of May 2024 and on the same day in every year thereafter.

Home (<http://ipindia.nic.in/index.htm>) About Us (<http://ipindia.nic.in/about-us.htm>) Who's Who (<http://ipindia.nic.in/whos-who-page.htm>)  
 Policy & Programs (<http://ipindia.nic.in/policy-pages.htm>) Achievements (<http://ipindia.nic.in/achievements-page.htm>)  
 RTI (<http://ipindia.nic.in/right-to-information.htm>) Feedback (<https://ipindiaonline.gov.in/feedback>) Sitemap (<shttp://ipindia.nic.in/itemap.htm>)  
 Contact Us (<http://ipindia.nic.in/contact-us.htm>) Help Line (<http://ipindia.nic.in/helpline-page.htm>)

[Skip to Main Content](#)



(<http://ipindia.nic.in/index.htm>)



(<http://ipindia.nic.in/inc>)

## Patent Search

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Invention Title         | "A NATURAL AGRO-PRODUCT COMPRISES NANO-GYPSUM, BIOCHAR & BIOMES AND THE PROCESS THEREOF FOR RECLAMATION OF SALT AF SOILS" |
| Publication Number      | 26/2022   |
| Publication Date        | 01/07/2022  |
| Publication Type        | INA   |
| Application Number      | 202221026571  |
| Application Filing Date | 07/05/2022  |
| Priority Number         |   |
| Priority Country        |   |
| Priority Date           |   |
| Field Of Invention      | BIOTECHNOLOGY   |
| Classification (IPC)    | A61K0038000000, C10B0053020000, B01J0020200000, C01B0032050000, C10L0005440000  |

### Inventor

| Name                    | Address  | Country | Nationali |
|-------------------------|--|---------|-----------|
| TIRUNIMA PATLE          | COA, RVSKVV, Gwalior, M.P (474002), India                              | India   | India     |
| DR. SANJAY SHARMA       | COA, RVSKVV, Gwalior, M.P (474002), India                              | India   | India     |
| DR. S.K TRIVEDI         | COA, RVSKVV, Gwalior, M.P(474002)                                      | India   | India     |
| SHRI. SENTHIL KUMAR     | RRCAT, Indore, M.P. (451010), India                                    | India   | India     |
| MR. NARENDRA CHOUHAN    | Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, M.P. (451010), India | India   | India     |
| DR. AVINASH SINGH TOMAR | COA, RVSKVV, Gwalior, M.P(474002), India                               | India   | India     |

### Applicant

| Name              | Address                                   | Country | Nationality |
|-------------------|---|---------|-------------|
| TIRUNIMA PATLE    | COA, RVSKVV, Gwalior, M.P (474002), India | India   | India       |
| DR. SANJAY SHARMA | COA, RVSKVV, Gwalior, M.P (474002), India | India   | India       |

### Abstract:

Disclosed is a natural agro-product comprises nano-gypsum; biochar & biomes wherein the nano-gypsum is dispersant-free. Also provided is a method of manufacturing t nano-gypsum and the biochar. Fig 1b-c

### Complete Specification

#### Description: FIELD OF INVENTION

The present invention relates to agriculture. More particularly, the present invention relates to natural agro-product comprises nano-gypsum, biochar & biomes and the process thereof for reclamation of salt affected soils.

#### BACKGROUND OF THE INVENTION

The term "agro" means a combining form of field, soil & crop production and agro-products which is synthetic or natural origin is used i) to improve the soil's physical qualities usually its fertility (called as soil conditioner) and ii) to soil or plant tissues to supply plant nutrients (called as fertilizer). Generally, synthetic agro-products includ ammonium nitrate, ammonium phosphate, superphosphate are harmful not only to soil and crop production but also to farmer who is handling these chemicals. Chemically produced plant accumulates toxic chemicals in the human body, which are very dangerous. The deleterious effect of the chemical fertilizers itself starts from manufacturing of these chemicals, whose products and byproducts are some toxic chemicals or gases like NH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> etc. which causes soil and health hazard (Chan et al. 2019) therefore the synthetic product are avoided. Therefore, in recent past, the focus of the scientist is on natural substance based agro-product without compromising the efficacy.

'Soil salinity' or 'salt affected soils' (herein after referred to as SAS) is major problem as the agriculture is concerned which leads to land degradation and reduced crop production. Current estimated area under SAS (6.74 M ha) comprising of 3.79 M ha sodic and 2.95 M ha saline area) is projected to increase to 16.2 M ha by 2050. An are

[View Application Status](#)



**Department of Industrial  
Policy and Promotion**  
Government of India

[Terms & conditions \(http://ipindia.gov.in/terms-conditions.htm\)](http://ipindia.gov.in/terms-conditions.htm) [Privacy Policy \(http://ipindia.gov.in/privacy-policy.htm\)](http://ipindia.gov.in/privacy-policy.htm)  
[Copyright \(http://ipindia.gov.in/copyright.htm\)](http://ipindia.gov.in/copyright.htm) [Hyperlinking Policy \(http://ipindia.gov.in/hyperlinking-policy.htm\)](http://ipindia.gov.in/hyperlinking-policy.htm)  
[Accessibility \(http://ipindia.gov.in/accessibility.htm\)](http://ipindia.gov.in/accessibility.htm) [Archive \(http://ipindia.gov.in/archive.htm\)](http://ipindia.gov.in/archive.htm) [Contact Us \(http://ipindia.gov.in/contact-us.htm\)](http://ipindia.gov.in/contact-us.htm)  
[Help \(http://ipindia.gov.in/help.htm\)](http://ipindia.gov.in/help.htm)

Content Owned, updated and maintained by Intellectual Property India, All Rights Reserved.

Page last updated on: 26/06/2019

संचालनालय  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
मध्यप्रदेश भोपाल



क्रमांक/ई-1-बी/रा.बी.उ.स./2023-24/1586

भोपाल, दिनांक 12/10/2023

“विभिन्न फसलों की नवीनतम विकसित प्रजातियों को म.प्र. राज्य के लिये  
अनुशंसित करने हेतु राज्य बीज उप समिति की  
बैठक दिनांक 27.09.2023 का कार्यवाही विवरण”

...\*\*\*...

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्र./3-61/2017-एस.डी. IV, दिनांक 19.01.2018 के अनुक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान संस्थानों एवं अन्य निजी संस्थाओं की नवीनतम विकसित प्रजातियों को म.प्र. के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु, प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा एवं निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य बीज उप समिति की बैठक दिनांक 27.09.2023 को बल्लभ भवन भोपाल प्रथम स्थित कक्ष क्रमांक 315 में आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्यों के साथ कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं/ अनुसंधान केन्द्रों के विषय विशेषज्ञ / वैज्ञानिक / पादप प्रजनक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं। उपस्थिति पत्रक परिशिष्ट -1 संलग्न है।

इसके अतिरिक्त बैठक में डॉ. मृणाल कुचलान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर, डॉ. पी. के. कटियार, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, डॉ. राजबीर यादव, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. किरण गायकवाड, वरिष्ठ वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), आनुवंशिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. गनपति मुकरी, वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. सुमन बक्सी, भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर, ट्राम्बे, मुम्बई एवं श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त, (गुणवत्ता नियन्त्रण), भारत सरकार वीडियो कान्फ्रेंस लिंक के माध्यम से सम्मिलित हुए।

STO (Seed)

7/10

| विवरण |  |     |         |   |   |
|-------|--|-----|---------|---|---|
| क्र.  | अनुसंधान केन्द्र                                     | फसल | प्रजाति | प्रजाति का विशेष गुण  | समिति का निर्णय   |
| 1     | 2  | 3   | 4       | 5   | 6   |
|       | (फल अनुसंधान केन्द्र कुठुलिया कृषि महाविद्यालय रीवा) |     |         | ऊंचाई-5-6 मीटर, फल का वजन (365.5 ग्राम), फल सफेद, गूदा अधिक, फल गोल, कीर्पिंग क्वालिटी अच्छी, लंबे समय तक फल देने वाला, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त। | के निर्देशों के अनुपालन उपरांत पुनः प्रस्तुत। म.प्र राज्य के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी। |

### एजेण्डा क्रमांक-5

संचालक, अनुसंधान सेवाएं, आर.व्ही.एस.के.व्ही.व्ही ग्वालियर के द्वारा विभिन्न फसलों की नवीनतम विकसित किस्मों का प्रस्तुतिकरण:-

संचालक, अनुसंधान सेवाएं, आर.व्ही.एस.के.व्ही.व्ही ग्वालियर के द्वारा विभिन्न फसलों की नवीनतम विकसित किस्मों के प्राप्त कुल 10 प्रजातियों के प्रस्तावों पर समिति द्वारा म.प्र राज्य हेतु अधिसूचित किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय/अनुसंशा का सारणीकृत विवरण निम्न तालिका अनुसार है।

| विवरण |  |       |          |  |                               |
|-------|--|-------|----------|--|-------------------------------|
| क्र.  | अनुसंधान केन्द्र   | फसल   | प्रजाति  | प्रजाति का विशेष गुण   | समिति का निर्णय               |
| 1     | 2  | 3     | 4        | 5  | 6                             |
| 1     | RVSKVV ग्वालियर (भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर ट्राम्बे मुम्बई एवं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के समन्वय से) | गेहूँ | TRVW-155 | परिपक्वता अवधि 111-138 दिन, उत्पादकता 57.50 से 59.20 क्वि/हे., दाना अम्बर, अर्ध-कठोर मोटे दानों वाली मध्यम अवधि की किस्म। चपाती हेतु उपयुक्त, दानों में प्रोटीन की मात्रा 11.5%, आयरन 41.3 ppm, जिंक 40.9ppm, बहुरोग प्रतिरोधी एवं हीट सहनशील, सिचाई की आवश्यकता कम, कम उपजाऊ और मध्यम उपजाऊ सिंचित परिस्थितियों में उपयुक्त, Lok- | समिति द्वारा अनुशंसित की गयी। |

| विवरण |   |         |                                      |   |   |
|-------|---|---------|--------------------------------------|---|---|
| क्र.  | अनुसंधान केन्द्र                                      | फसल     | प्रजाति                              | प्रजाति का विशेष गुण  | समिति का निर्णय   |
| 1     | 2   | 3       | 4                                    | 5   | 6   |
|       |   |         |                                      | 1, GW-322 and HI-1544 का बेहतर विकल्प, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।   |   |
| 2     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | मसूर    | Raj Vijay Lentil - 15-4 / (RVL-15-4) | परिपक्वता अवधि 90-110 दिन, उत्पादकता 17.50 किं/हे., बड़े बीज (2.55 ग्राम), पौधा अर्ध सीधा, मध्यम ऊंचाई और चौड़ी पत्ती वाली शाखाएं इसे अंतर फसल के लिए उपयुक्त बनाती हैं, हानिकारक कीट, विल्ट, एस्को-काइटा ब्लाइट, रस्ट, रूट रॉट के प्रति सहनशील। बहुरोग प्रतिरोधी, वर्षा आधारित स्थिति, सूखे के लिए उपयुक्त, अधिक उपज देने वाली, मध्य प्रदेश की वर्षा आधारित कृषि प्रणाली के अंतर्गत समय पर बुआई हेतु उपयुक्त है। | बीज उप समिति बैठक दिनांक 26.07.2022 के निर्देशों के अनुपालन उपरांत पुनः प्रस्तुत। म.प्र. राज्य क लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी। |
| 3     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | सोयाबीन | Raj Vijay Soybean -124 / (RVS-124)   | परिपक्वता अवधि 92 दिन, उत्पादकता 20.84 किं/हे., बीज में उत्कृष्ट दीर्घायु एवं अंकुरण क्षमता, शीघ्र परिपक्वता होती है, बहुरोग प्रतिरोधक क्षमता, भारी से हल्की मिट्टी, यांत्रिक कटाई और वर्षा आधारित स्थिति के लिए उपयुक्त मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।   | समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।   |
| 4     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | अरहर    | RVSA-14-2                            | मध्यम परिपक्वता अवधि 161 दिन, उत्पादकता 21.39 किं/हे., 100 बीज का वजन (ग्राम) - 9.84, बीज भूरा, बीज अंडाकार, मध्यम, उकठा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, खरीफ मौसम में समय पर बुआई एवं अंतरफसल के लिए उपयुक्त, UPAS -120, TJT-501 का  | समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।   |

| विवरण |   |      |  |   |   |
|-------|---|------|--|---|---|
| क्र.  | अनुसंधान केन्द्र                                      | फसल  | प्रजाति                                      | प्रजाति का विशेष गुण  | समिति का निर्णय   |
| 1     | 2   | 3    | 4  | 5   | 6   |
|       |   |      |  | विकल्प है। मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।   |   |
| 5     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | अरहर | RVSA-16-1                                    | परिपक्वता अवधि 179-183 दिन, उत्पादकता 19.67-28.35 कि/हे., पौधे की ऊंचाई 160 सेमी है। मध्यम आकार के बीज, उकठा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, एकल फसल के साथ-साथ सोयाबीन / मूंग / उर्द की दलहनी फसल के साथ अंतर फसल, JKM-189 का विकल्प, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।   | क्र. 3482(E) 07.10.2020 में दक्षिण क्षेत्र के लिए में अधिसूचित, मप्र के लिए क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्तावित, म.प्र. राज्य के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी। |
| 6     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | उड़द | Raj Vijay<br>Sehore<br>Urd -1 /<br>(RVSU-1)  | परिपक्वता अवधि 73-76 दिन, उत्पादकता 9-10 कि/हे., लांजिंग और शेटरिंग के प्रति सहनशील। बीज आकार मध्यम, बहुरोग प्रतिरोधी और MYMV (MR) और एन्थ्रेक्रोज के प्रति सहनशीलता। फली छेदक प्रतिरोधी, खरीफ और बसंत/ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त, पुरानी किस्मों NU-L 7, T-9, Pratap Urd- 1 का विकल्प है, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। | समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।   |
| 7     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | मूंग | Raj Vijay<br>Sehore<br>Mung -1 /<br>(RVSM-1) | परिपक्वता अवधि 66 to 69 दिन, उत्पादकता 8.78 कि/हे., बीज का आकार मध्यम, बीज का रंग हरा, जल जमाव के प्रति प्रतिरोधी, बहुरोगों जैसे MYMV, ULCV, LCV और एन्थ्रेक्रोज के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, खरीफ, रबी और ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त। बायोस्ट्रेस के लिये सहनशील,   | समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।   |



| विवरण |   |       |   |  |   |
|-------|---|-------|---|--|---|
| क्र.  | अनुसंधान केन्द्र  | फसल   | प्रजाति   | प्रजाति का विशेष गुण   | समिति का निर्णय   |
| 1     | 2   | 3     | 4   | 5  | 6   |
|       |   |       |   | मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।   |   |
| 8     | RVSKVV<br>ग्वालियर<br>(कालेज ऑफ<br>एग्रीकल्चर,<br>इन्दौर)             | मूंग  | RVIM-<br>750-1  | शीघ्र पकने वाली किस्म, परिपक्वता अवधि 59-79 दिन, उत्पादकता 10.80 क्वि/हे., पौधा सेमी इरेक्ट, लाजिंग और शेटरिंग के प्रति सहनशील, रोग LCV एवं ULCV के लिए प्रतिरोधी, एन्थ्रेक्नोज, पाउडर फफूंदी, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, वाईएमवी के लिए मध्यम प्रतिरोधी। मारुका, पॉड बग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी, खरीफ के साथ-साथ गर्मियों की खेती के लिए उपयुक्त। मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।  | समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।   |
| 9     | RVSKVV<br>ग्वालियर<br>(आर.ए.के.<br>कालेज ऑफ<br>एग्रीकल्चर,<br>इन्दौर) | ज्वार | CSV-<br>54HB /<br>(RVJ -<br>2714) /<br>(SPV-<br>2714) | परिपक्वता अवधि 121-127 दिन, कुल ताजा बायोमास: 500 क्वि./हे., शुष्क बायोमास उपज: 258 क्वि./हे. कुल इथेनॉल उत्पादन 360 लीटर/टन बायोमास, पौधे की ऊंचाई 270-300 सेमी. व्यापक अनुकूलनशीलता और 2जी इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयुक्त, बरानी खेती में उच्च बायोमास किस्म, लीफ स्पॉट रोगों के प्रति सहनशील, तना छेदक और शूट फ्लाई के लिए मध्यम प्रतिरोधी, मध्य प्रदेश के बरानी क्षेत्रों में खरीफ मौसम की समय पर बुआई के लिए उपयुक्त, वर्षा आधारित उच्च बायोमास किस्म के रूप में पहचानी जाती है। औद्योगिक प्रयोजन एवं मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। | अन्य राज्यों तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड के लिए 06.03.2023 को अधिसूचित, मध्य प्रदेश के लिए क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्तुत म.प्र राज्य के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी। |

| विवरण |   |      |   |  |   |
|-------|---|------|---|--|---|
| क्र.  | अनुसंधान केन्द्र  | फसल  | प्रजाति   | प्रजाति का विशेष गुण   | समिति का निर्णय   |
| 1     | 2   | 3    | 4   | 5  | 6   |
| 10    | RVSKVV<br>ग्वालियर<br>(कालेज ऑफ<br>एग्रीकल्चर,<br>इन्दौर) | उड़द | Raj Vijay<br>Indore<br>Urd - 94-<br>1/<br>(RVIU-<br>94-1) | शीघ्र परिपक्वता अवधि 76 दिन,<br>उत्पादकता 9.30 क्वि/हे., पौधा सेमी<br>इरेक्ट, सभी रोगों और कीटों के प्रति<br>मध्यम प्रतिरोधी, फलियों के चटकने<br>और लॉजिंग के प्रति सहनशील, खरीफ<br>एवं गर्मी की खेती के लिए उपयुक्त।<br>प्रदेश के उच्च तापक्रम वाले क्षेत्र में<br>प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। | ट्रायल के दौरान<br>खण्डवा केन्द्र में<br>प्रदर्शन अच्छा<br>नहीं है, प्रदेश के<br>उच्च तापमान<br>वाले क्षेत्रों में एक<br>वर्ष और ट्रायल<br>आयोजित करने<br>निर्देशित किया। |

### एजेण्डा क्रमांक-6

एडवान्टा एण्टरप्राइजेस लिमि. हैदराबाद के द्वारा हायब्रिड मक्का एवं हायब्रिड धान फसलों की नवीनतम विकसित किस्मों का प्रस्तुतिकरण:-

एडवान्टा एण्टरप्राइजेस लिमि. हैदराबाद के द्वारा हायब्रिड मक्का एवं हायब्रिड धान फसलों की नवीनतम विकसित किस्मों के प्राप्त कुल 3 प्रजातियों के प्रस्तावों पर समिति द्वारा म.प्र राज्य हेतु अधिसूचित किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय/अनुसंशा का सारणीकृत विवरण निम्न तालिका अनुसार है।

| विवरण |   |                   |                 |   |   |
|-------|---|-------------------|-----------------|---|---|
| क्र.  | अनुसंधान केन्द्र  | फसल               | प्रजाति         | प्रजाति का विशेष गुण  | समिति का निर्णय   |
| 1     | 2   | 3                 | 4               | 5   | 6   |
| 1     | एडवांटा<br>एण्टरप्राइजेस<br>लिमिटेड,<br>हैदराबाद,<br>(तेलंगाना) | हायब्रिड<br>मक्का | PAC-745<br>Gold | परिपक्वता अवधि 95-100 दिन,<br>उच्च उपज, उत्पादकता 65.41<br>क्वि/हे., दाना नारंगी पीला, सेमी<br>पिलंट, अच्छी शेलिंग प्रतिशत,<br>व्यापक रूप से अनुकूलित, कटाई के<br>समय हरा रहना, टिप तक फिलिंग के<br>साथ लंबे भुटटे, NCLB & Cob rot<br>रोग के प्रति सहनशील, सूखा और<br>नमी सहनशील, वर्षा आधारित कृषि<br>के लिए उपयुक्त, पोल्ट्री अहार के | यूपी राज्य के लिए<br>दिनांक<br>20.07.2021 को<br>अधिसूचित और<br>एमपी के लिए क्षेत्र<br>विस्तार के लिए<br>प्रस्ताव प्रस्तुत।<br>म.प्र राज्य के लिये<br>अधिसूचित किये<br>जाने हेतु समिति<br>द्वारा म.प्र. में एक<br>बार पुनः<br>विश्वविद्यालय के<br>अनुसंधान केन्द्रों पर<br>ट्रायल आयोजित |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228539  
CG-DL-E-28072021-228539

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2775]  
No. 2775]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

**का. आ. 2986(अ).**— बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंची है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (3) के रूधीन संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों के कॉलम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना जरूरी और समाचीन है, एतद्वारा घोषणा की जाती है कि बीजों के उक्त प्रकार या किस्में अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित होंगी और शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए इनकी बिक्री की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म   | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य |
|---------|--------|---|------------------------------|
| (1)     | (2)    | (3)   | (4)                          |
| 1.      | चावल   | जम्मू बासमती 118<br>(एसजेबीआर 118)<br>(आईईटी 27733) | जम्मू एवं कश्मीर।            |

| क्र.सं. | प्रकार       | किस्म                                 | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य  |
|---------|--------------|---------------------------------------|---|
| (1)     | (2)          | (3)                                   | (4)   |
| 39.     | काबुली चना   | आरएलबी चना काबुली-1<br>(आरएलबीजीके-1) | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा।   |
| 40.     | सरसों        | एसवीजेएच-108                          | हरियाणा।  |
| 41.     | भारतीय सरसों | आजाद महक [(केएमआर<br>(ई) 15-2)]       | उत्तर प्रदेश।   |
| 42.     | भारतीय सरसों | राधिका (डीआरएमआर<br>2017-18)          | जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान।  |
| 43.     | भारतीय सरसों | बृजराज<br>(डीआरएमआरआईसी 16-<br>38)    | जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान।   |
| 44.     | बाकला        | स्वर्ण गौरव                           | बिहार।  |
| 45.     | बाकला        | स्वर्ण सुरक्षा                        | बिहार।  |
| 46.     | मूंग         | पूसा 1641                             | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।   |
| 47.     | ग्वार        | एक्स-10                               | हरियाणा।  |
| 48.     | तोरिया       | आजाद चेतना (टीकेएम<br>14-2)           | उत्तर प्रदेश।   |
| 49.     | तोरिया       | राज विजय तोरिया 2<br>(आरएमटी 08-2)    | मध्य प्रदेश।  |
| 50.     | सोयाबीन      | पूसा सोयाबीन 06                       | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।   |
| 51.     | सोयाबीन      | आरवीएसएम-2011-35<br>(आरवीएसएम 35)     | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात।   |
| 52.     | सोयाबीन      | आईएस 138 (एनआरसी<br>138)              | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र।   |
| 53.     | सोयाबीन      | एएमएस 100-39<br>(पीडीकेवी अम्बा)      | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र।   |
| 54.     | सोयाबीन      | एमएसीएस-एनआरसी<br>1667                | महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कृष्णा नदी के तट पर जंग संभावित क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी महाराष्ट्र, बेलगावी, धारवाड़, हावेरी बीदर और बागलकोट जिले का पूरा क्षेत्र।                           |
| 55.     | सोयाबीन      | केबीवीएस 1 (करुणे)                    | कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग।   |
| 56.     | सोयाबीन      | राज विजय सोयाबीन<br>[आरवीएस 76]       | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात।   |
| 57.     | सोयाबीन      | आईएस 142 (एनआरसी<br>142)              | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र और मध्य क्षेत्र महाराष्ट्र में दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कृष्णा नदी के |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032023-244182  
CG-DL-E-07032023-244182

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1015]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2023/फाल्गुन 15, 1944

No. 1015]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2023/PHALGUNA 15, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

**का.आ. 1056(अ).**—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी अर्थात् :—

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किस्में               | किस्मों/संकरों का नाम  | बिक्री के लिए अनुशंसित संघ राज्य क्षेत्र |
|---------|--------|-----------------------|--|--|
| (1)     | (2)    | (3)                   | (4)  | (5)                                      |
| 1.      | चावल   | खुली परागण वाली किस्म | स्वर्णा शुष्क धान (आरसीपीआर 56-आईआर93827-29-1-1-4) (आईईटी 27962) | उत्तर प्रदेश                             |

|      |             |                       |   |  |
|------|-------------|-----------------------|---|--|
| 131. | सूरजमुखी    | संकर                  | आरएसएफएच-700  | कर्नाटक  |
| 132. | कुसुम       | खुली परागण वाली किस्म | परभणी सुवर्णा (पीबीएनएस-154)                            | महाराष्ट्र   |
| 133. | कुसुम       | खुली परागण वाली किस्म | राज विजय कुसुम 18-3 (आरवीएसएफएफ18-3)                    | मध्य प्रदेश  |
| 134. | कुसुम       | संकर                  | आईएसएच-402  | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश              |
| 135. | अलसी का बीज | खुली परागण वाली किस्म | वर्षा अलसी 2 (आरएलसी-171)                               | हिमाचल प्रदेश, जम्मू - कश्मीर, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और नागालैंड |
| 136. | अलसी का बीज | खुली परागण वाली किस्म | बिरसा तीसी-2 (बीएयू-14-09)                              | झारखंड   |
| 137. | अलसी का बीज | खुली परागण वाली किस्म | डीएलवी-6 (प्रभाकांत)                                    | कर्नाटक  |
| 138. | रामतिल      | खुली परागण वाली किस्म | जीएनएनआईजी-4 (कस्तूरी) एनएमबीपी-1907                    | गुजरात   |
| 139. | अरहर        | खुली परागण वाली किस्म | फुले कावेरी (फुले तूर-11-4)                             | तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा                                 |
| 140. | अरहर        | खुली परागण वाली किस्म | फुले तृप्ति (फुले तुर-10-1)                             | महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़                                       |
| 141. | अरहर        | खुली परागण वाली किस्म | रेणुका (बीडीएन 2013-2)                                  | महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़                             |
| 142. | अरहर        | खुली परागण वाली किस्म | पीडीकेवी अक्षेपा (एकेटीएम 1637)                         | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़                                       |
| 143. | अरहर        | खुली परागण वाली किस्म | गुजरात टूर 107 (जीटी 107: बनासअभय) (एसकेएनपी 1608)      | गुजरात   |
| 144. | अरहर        | खुली परागण वाली किस्म | गुजरात टूर 108 (जीटी 108: बनास उज्ज्वल) (एसकेएनपी 1614) | गुजरात   |
| 145. | चना         | खुली परागण वाली किस्म | एल 558 (जीएलके 17301)                                   | पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तराखंड के मैदानी भाग                         |
| 146. | चना         | खुली                  | पूसा जेजी 16 (बीजीएम)                                   | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,   |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-249001  
CG-DL-E-26092023-249001

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4054]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2023/आश्विन 3, 1945

No. 4054]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023/ASVINA 3, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2023

का.आ. 4222(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति के साथ परामर्श के पश्चात् यह राय रखती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट बीजों के प्रकार की क्वालिटी, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट किस्म, पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट किस्म के नाम, उसके स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जिनमें कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किया जाना है, का विनियमन किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है, यह घोषणा की जाती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से, ऐसे प्रकार या किस्म के बीज, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण भारत के लिए बीजों की अधिसूचित किस्म या प्रकार होंगे, अर्थात:-

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किस्में               | किस्मों/संक्रो का नाम | विक्री के लिए अनुशंसित संघ राज्य क्षेत्र |
|---------|--------|-----------------------|-----------------------|--|
| (1)     | (2)    | (3)                   | (4)                   | (5)                                      |
| 1.      | चावल   | खुली परागण वाली किस्म | 28पी67                | पंजाब और हरियाणा                         |

|     |              |                       |  |   |
|-----|--------------|-----------------------|--|---|
| 44. | भारतीय सरसों | खुली परागण वाली किस्म | सीएस 64 (सीएस 2005-143)                        | हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के मैदान और हिमाचल प्रदेश |
| 45. | भारतीय सरसों | खुली परागण वाली किस्म | सम्पूर्ण (ओयूएटी कलिंगा सरसों 1)               | ओडिशा   |
| 46. | भारतीय सरसों | खुली परागण वाली किस्म | गुजरात सरसों 6 (बनास सोना) (एसकेएम 1328)       | गुजरात  |
| 47. | भारतीय सरसों | खुली परागण वाली किस्म | आनंद हेमा (गुजरात सरसों 8) (एएनडीएम14-09)      | गुजरात  |
| 48. | भारतीय सरसों | खुली परागण वाली किस्म | पंत राय-22 (पीआरएल-2013-17)                    | उत्तराखंड   |
| 49. | गोभी सरसों   | खुली परागण वाली किस्म | हिम पालम सरसों 2 (एकेजीएस-19-8)                | हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर   |
| 50. | पीली सरसों   | खुली परागण वाली किस्म | पंत पिली सरसों-2 (पीवाईएस-2016-8)              | उत्तराखंड   |
| 51. | मूंगफली      | खुली परागण वाली किस्म | मूंगफली वीआरआई 10 (वीजी 17008)                 | तमिलनाडु  |
| 52. | तिल          | खुली परागण वाली किस्म | गुजरात तिल 7 (बनास गौरव) (एसकेटी 1501)         | गुजरात  |
| 53. | तिल          | खुली परागण वाली किस्म | वीआरआई 5 (वीएस 19036)                          | तमिलनाडु  |
| 54. | तिल          | खुली परागण वाली किस्म | अश्रित (ओयूएटी कलिंगा तिल - 1)                 | ओडिशा   |
| 55. | कुसुम        | खुली परागण वाली किस्म | आरवीएसएफ-18-1 (राज विजय कुश 18-1)              | कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड               |
| 56. | सूरजमुखी     | संकर                  | सूरजमुखी सीओएच 4 (सीएसएच 15020)                | तमिलनाडु  |
| 57. | अलसी         | खुली परागण वाली किस्म | सबौर टीसी-4 (वीआरएलएस 121)                     | उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड को छोड़कर), बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम और नागालैंड          |
| 58. | अलसी         | खुली परागण वाली किस्म | शुआट्स अलसी-4 (एसएच-4)                         | उत्तर प्रदेश  |
| 59. | अलसी         | खुली परागण वाली किस्म | जवाहर अलसी सागर 122 (जेएलएस 122) (एसएलएस- 122) | मध्य प्रदेश   |
| 60. | अलसी         | खुली परागण वाली किस्म | आज़ाद प्रजा (एलसीके 1516)                      | उत्तर प्रदेश  |



संचालनालय  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
मध्यप्रदेश भोपाल



क्रमांक/ई-1-बी/रा.बी.उ.स./2023-24/1586

भोपाल, दिनांक 12/10/2023

“विभिन्न फसलों की नवीनतम विकसित प्रजातियों को म.प्र. राज्य के लिये  
अनुशंसित करने हेतु राज्य बीज उप समिति की  
बैठक दिनांक 27.09.2023 का कार्यवाही विवरण”

\*\*\*

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्र./3-61/2017-एस.डी. IV, दिनांक 19.01.2018 के अनुक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान संस्थानों एवं अन्य निजी संस्थाओं की नवीनतम विकसित प्रजातियों को म.प्र. के लिये अधिसूचित किये जाने हेतु, प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा एवं निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य बीज उप समिति की बैठक दिनांक 27.09.2023 को बल्लभ भवन भोपाल प्रथम स्थित कक्ष क्रमांक 315 में आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्यों के साथ कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं/ अनुसंधान केन्द्रों के विषय विशेषज्ञ / वैज्ञानिक / पादप प्रजनक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं। उपस्थिति पत्रक परिशिष्ट -1 संलग्न है।

इसके अतिरिक्त बैठक में डॉ. मृणाल कुचलान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर, डॉ. पी. के. कटियार, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, डॉ. राजबीर यादव, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. किरण गायकवाड, वरिष्ठ वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), आनुवंशिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. गनपति मुकरी, वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. सुमन बक्सी, भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर, ट्राम्बे, मुम्बई एवं श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त, (गुणवत्ता नियन्त्रण), भारत सरकार वीडियो कान्फ्रेंस लिंक के माध्यम से सम्मिलित हुए।

STO (Seed)

7/10

| विवरण |   |         |                                      |  |   |
|-------|---|---------|--------------------------------------|--|---|
| क्र.  | अनुसंधान केन्द्र                                      | फसल     | प्रजाति                              | प्रजाति का विशेष गुण   | समिति का निर्णय   |
| 1     | 2   | 3       | 4                                    | 5  | 6   |
|       |   |         |                                      | 1, GW-322 and HI-1544 का बेहतर विकल्प, मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।  |   |
| 2     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | मसूर    | Raj Vijay Lentil - 15-4 / (RVL-15-4) | परिपक्वता अवधि 90-110 दिन, उत्पादकता 17.50 क्वि/हे., बड़े बीज (2.55 ग्राम), पौधा अर्ध सीधा, मध्यम ऊंचाई और चौड़ी पत्ती वाली शाखाएं इसे अंतर फसल के लिए उपयुक्त बनाती हैं, हानिकारक कीट, विल्ट, एस्को-काइटा ब्लाइट, रस्ट, रूट रॉट के प्रति सहनशील। बहुरोग प्रतिरोधी, वर्षा आधारित स्थिति, सूखे के लिए उपयुक्त, अधिक उपज देने वाली, मध्य प्रदेश की वर्षा आधारित कृषि प्रणाली के अंतर्गत समय पर बुआई हेतु उपयुक्त है। | बीज उप समिति बैठक दिनांक 26.07.2022 के निर्देशों के अनुपालन उपरांत पुनः प्रस्तुत। म.प्र. राज्य क लिये अधिसूचित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित की गयी। |
| 3     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | सोयाबीन | Raj Vijay Soybean -124 / (RVS-124)   | परिपक्वता अवधि 92 दिन, उत्पादकता 20.84 क्वि/हे., बीज में उत्कृष्ट दीर्घायु एवं अंकुरण क्षमता, शीघ्र परिपक्वता होती है, बहुरोग प्रतिरोधक क्षमता, भारी से हल्की मिट्टी, यांत्रिक कटाई और वर्षा आधारित स्थिति के लिए उपयुक्त मध्यप्रदेश के समस्त कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु उपयुक्त है।   | समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।   |
| 4     | RVSKVV ग्वालियर (आर.ए.के. कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर) | अरहर    | RVSA-14-2                            | मध्यम परिपक्वता अवधि 161 दिन, उत्पादकता 21.39 क्वि/हे., 100 बीज का वजन (ग्राम) - 9.84, बीज भूरा, बीज अंडाकार, मध्यम, उकठा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, खरीफ मौसम में समय पर बुआई एवं अंतरफसल के लिए उपयुक्त, UPAS -120, TJT-501 का  | समिति द्वारा अनुशंसित की गयी।   |

**Minutes of the 86<sup>th</sup> meeting of Central Sub-Committee on Crop Standards, Notification and Release of Varieties for Agricultural Crops held through Video Conferencing on 15<sup>th</sup> March, 2021 under the Chairmanship of Dr. T.R. Sharma, Deputy Director General (Crop Sciences), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi**

Member Secretary, Central Sub-Committee on Crop Standards, Notification and Release of Varieties for Agricultural Crops welcomed the Chairman, members and special invitees of the Sub-Committee in the 86<sup>th</sup> meeting (list of participants attached at *Annexure-1*) and briefed about the proposals to be discussed and the norms for consideration of the proposals. The Chairman also welcomed all and appreciate timely organisation of the meeting. Member Secretary requested ADG (Seed) to make presentation on various proposals to be considered by committee. Based on the for presentation made by ADG (Seed), ICAR and further discussion over the various proposals, item wise recommendations/ approval of the committee is given as blow:

**Item No.1: Confirmation of the minutes of 85<sup>th</sup> meeting of Central Sub-Committee on Crop Standards, Notification and Release of Varieties for Agricultural Crops held on 09<sup>th</sup> November, 2020**

The minutes of 85<sup>th</sup> meeting of Central Sub-Committee on Crop Standards, Notification and Release of Varieties for Agricultural Crops have also been circulated to all and also available at the DAC&FW Website [www.seednet.gov.in](http://www.seednet.gov.in). The Committee noted and accordingly confirmed the minutes. The Gazette Notification S.O. No. 500 (E), dated 29<sup>th</sup> January, 2021 of the varieties released in 85<sup>th</sup> meeting is already published and is available at <http://www.egazette.nic.in>.

In respect to the minutes and notification of 85<sup>th</sup> meeting of CSC on CSN & RV this division has received the comments from Director, IIWBR, Karnal, who has informed that due to typological error the states of following wheat varieties released and recommended for notification have been exchanged, the correct status is under:

| Sr. No. | Crop  | Variety                  | Recommended state as reflected in gazette notification   | Corrected recommended states   |
|---------|-------|--------------------------|--|--|
| 1.      | Wheat | NIDW 1149 (Durum)        | Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan (except Kota and Udaipur divisions), Western UP (except Jhansi division). Part of J&K (Jammu and Kathua Distt.), Parts of HP (Una Distt. and Paonta Valley) and Uttarakhand (Tarai region) | Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu  |
| 2.      | Wheat | WB 02 (Rajendra Gehun 3) | Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan (except Kota and Udaipur divisions), Western UP (except Jhansi division). Parts of J&K (Jammu & Kathua Distt.), Parts of HP (Una Distt. and Paonta Valley) and Uttarakhand (Tarai region)  | Bihar  |
| 3.      | Wheat | DBW 187 (Karan Vandana)  | Bihar.   | Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan (except Kota and Udaipur divisions), Western Uttar Pradesh (except Jhansi division), parts of Jammu and Kashmir (Jammu & Kathua Distt.), parts of Himachal Pradesh (Una Distt. and Paonta Valley) and Uttarakhand (Tarai region) |

Accordingly necessary amendment can be made.

*D.K. S*

*[Signature]*

| Sr. No. | Crop    | Variety                    | Recommended area   | Sponsoring Authority   |
|---------|---------|----------------------------|--|--|
|         |         |                            |  | Bharatpur (Rajasthan)  |
| 13.     | Soybean | RVSM 2011-35 (RVSM 35)     | Madhya Pradesh, Budelkhand Region of Uttar Pradesh, Marathwada and Vidarbh Region of Maharashtra, Rajasthan and Gujarat.   | Rajmata Vijayraje Scindia Krishi Visvavidhyalaya, Gwalior (Madhya Pradesh)                           |
| 14.     | Soybean | IS 138 (NRC 138)           | Madhya Pradesh, Budelkhand Region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Marathwada and Vidarbh Region of Maharashtra.  | ICAR-Indian Soybean Research Institute, Indore (Madhya Pradesh)                                      |
| 15.     | Soybean | AMS 100-39 (PDKV Amba)     | Madhya Pradesh, Budelkhand Region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Marathwada and Vidarbh Region of Maharashtra.  | Panjabrao Deshmukh Krishi Vishwavidhyalaya, Akola (Maharashtra)                                      |
| 16.     | Soybean | MACSNRC 1667               | Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu excluding rust prone areas on bank of river Krishna like Southern Maharashtra, entire area of Belagavi, Dharwad, Haveri Bidar & Bagalkot district.  | Agarkar Research Institute, Pune and ICAR-Indian Soybean Research Institute, Indore (Madhya Pradesh) |
| 17.     | Soybean | KBVS 1 (Karune)            | Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Southern part of Maharashtra.   | ICAR-Indian Soybean Research Institute, Indore (Madhya Pradesh)                                      |
| 18.     | Soybean | Raj Vijay Soybean [RVS 76] | Madhya Pradesh, Budelkhand Region of Uttar Pradesh, Marathwada and Vidarbh Region of Maharashtra, Rajasthan and Gujarat.   | Rajmata Vijayraje Scindia Krishi Visvavidhyalaya, Gwalior (Madhya Pradesh)                           |
| 19.     | Soybean | IS 142 (NRC 142)           | Madhya Pradesh, Budelkhand region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Marathwada and Vidarbh region of Maharashtra in Central Zone and Southern Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu in South Zone excluding rust prone areas on bank of river Krishna like Southern Maharashtra, entire area of Belagavi, Dharwad, Haveri Bidar & Bagalkot district. | ICAR-Indian Soybean Research Institute, Indore (Madhya Pradesh)                                      |
| 20.     | Soybean | SL 1074                    | Punjab, Haryana, Uttar Pradesh (except Budelkhand region of Uttar Pradesh) and Delhi.  | Punjab Agricultural University, Ludhiana (Punjab)  |
| 21.     | Soybean | SL 1028                    | Punjab, Haryana, Uttar Pradesh (except Budelkhand region of Uttar Pradesh) and Delhi.  | Punjab Agricultural University, Ludhiana (Punjab)  |

*B. K. Sui*

*[Signature]*



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901  
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]  
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

**का.आ. 500(अ).**—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएंगी, अर्थात्:--

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म                       | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य          |
|---------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|
| (1)     | (2).   | (3)                         | (4)                                   |
| 1.      | चावल   | आरएच 150025 (एडीवी, 8082)   | छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।              |
| 2.      | चावल   | जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468) | छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। |
| 3.      | चावल   | जेकेआरएच 2154               | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार   |

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म                                | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य  |
|---------|--------|--------------------------------------|---|
| (1)     | (2)    | (3)                                  | (4)   |
|         |        | (सीजी लोचन चना)                      |   |
| 72.     | चना    | पीवीजी 9 (जीएल 13001)                | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल।   |
| 73.     | चना    | कोटा काबुली चना -2 (आरकेजीके 13-499) | राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर।   |
| 74.     | चना    | पीडीकेवी-कनक<br>(एकेजी-1303)         | महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश।  |
| 75.     | चना    | पूसा चना 20211<br>(पूसा चना मानव)    | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।  |
| 76.     | चना    | राज विजय चना 210 (आरवीजी 210)        | मध्य प्रदेश।  |
| 77.     | चना    | राज विजय चना 121 (आरवीकेजी 121)      | मध्य प्रदेश।  |
| 78.     | मसूर   | आरकेएल 58 एफ 3715 (कोटा मसूर 4)      | छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र), राजस्थान के दक्षिण-पूर्व भाग। |
| 79.     | मसूर   | आईपीएल 329                           | उत्तर प्रदेश।   |
| 80.     | मसूर   | आईपीएल 225                           | उत्तर प्रदेश।   |
| 81.     | अरहर   | एलआरजी 133-33                        | तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।  |
| 82.     | अरहर   | संकर: आईपीएच 09-5                    | पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तराई क्षेत्र।                 |
| 83.     | अरहर   | आईपीए 15-2                           | पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्से।                               |
| 84.     | अरहर   | डब्ल्यूआरजीई-121                     | कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु।   |
| 85.     | मटर    | एचएफपी1428                           | पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से।         |
| 86.     | अरण्डी | जवाहर अरण्डी -26<br>(जेसी-26)        | मध्य प्रदेश   |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901  
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]  
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

**का.आ. 500(अ).**—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएंगी, अर्थात्:--

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म                       | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य          |
|---------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|
| (1)     | (2).   | (3)                         | (4)                                   |
| 1.      | चावल   | आरएच 150025 (एडीवी, 8082)   | छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।              |
| 2.      | चावल   | जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468) | छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। |
| 3.      | चावल   | जेकेआरएच 2154               | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार   |

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म  | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य   |
|---------|--------|--|--|
| (1)     | (2).   | (3)  | (4)  |
| 54.     | मक्का  | एनएमएच -731  | असम।   |
| 55.     | मक्का  | एनएमएच -920  | असम।   |
| 56.     | मक्का  | वीएल क्यूपीएम संकर 59<br>(एफक्यूएच 106)                          | उत्तराखंड (पहाड़ी)।  |
| 57.     | मक्का  | पंत संकर मक्का-5 (पीएसएम-5)                                      | उत्तराखंड (पहाड़ी)।  |
| 58.     | मक्का  | जवाहर मक्का 215 (सीएचएच<br>215)                                  | मध्य प्रदेश।   |
| 59.     | ज्वार  | सीएसएच-42<br>(एसपीएच -1883) (ज्वार)                              | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और,<br>गुजरात।                        |
| 60.     | बाजरा  | एमपी7366<br>(एमएसएच 346)   | राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश,<br>महाराष्ट्र और तमिलनाडु।               |
| 61.     | बाजरा  | वीपीएमएच-7   | कर्नाटक।   |
| 62.     | कुटकी  | सीएलएमवी 1 (जेएआईसीएआर<br>सामा-1/ एलएमवी 518)                    | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,<br>तमिलनाडु और पुदुचेरी।             |
| 63.     | कोदों  | गुजरात आनंद कोड्रा -3 (जीएके-3)                                  | गुजरात।  |
| 64.     | रागी   | सीएफएमवी 2 (एफएमवी 1118)<br>(जीएन-9 /गिरा)                       | आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात,<br>महाराष्ट्र और ओडिशा।                 |
| 65.     | रागी   | सीएफएमवी 1 (इंद्रावती)<br>(एफएमवी 1116)<br>(वीआर 1101)<br>(रागी) | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक,<br>पुदुचेरी और ओडिशा।                   |
| 66.     | रागी   | वीएल मंडुआ 378   | उत्तराखंड।   |
| 67.     | रागी   | वीएल मंडुआ 382   | उत्तराखंड।   |
| 68.     | चना    | जवाहर चना काबुली 6 (जेजीके 6)<br>(जेजीके 2017-32)                | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,<br>राजस्थान और जम्मू और कश्मीर।            |
| 69.     | चना    | राज विजय चना 204 (आरवीजी<br>204)                                 | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़,<br>राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से। |
| 70.     | चना    | राज विजय काबुली चना 2020<br>(आरवीकेजी 2020)<br>(आरवीएसएसजी 63)   | पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और<br>राजस्थान।                                |
| 71.     | चना    | आरजी 2015-08   | छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।  |





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901  
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]  
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

**का.आ. 500(अ).**—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएंगी, अर्थात्:--

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म                       | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य          |
|---------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|
| (1)     | (2).   | (3)                         | (4)                                   |
| 1.      | चावल   | आरएच 150025 (एडीवी, 8082)   | छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।              |
| 2.      | चावल   | जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468) | छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। |
| 3.      | चावल   | जेकेआरएच 2154               | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार   |

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म                                | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य  |
|---------|--------|--------------------------------------|---|
| (1)     | (2)    | (3)                                  | (4)   |
|         |        | (सीजी लोचन चना)                      |   |
| 72.     | चना    | पीवीजी 9 (जीएल 13001)                | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल।   |
| 73.     | चना    | कोटा काबुली चना -2 (आरकेजीके 13-499) | राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर।   |
| 74.     | चना    | पीडीकेवी-कनक<br>(एकेजी-1303)         | महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश।  |
| 75.     | चना    | पूसा चना 20211<br>(पूसा चना मानव)    | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।  |
| 76.     | चना    | राज विजय चना 210 (आरवीजी 210)        | मध्य प्रदेश।  |
| 77.     | चना    | राज विजय चना 121 (आरवीकेजी 121)      | मध्य प्रदेश।  |
| 78.     | मसूर   | आरकेएल 58 एफ 3715 (कोटा मसूर 4)      | छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र), राजस्थान के दक्षिण-पूर्व भाग। |
| 79.     | मसूर   | आईपीएल 329                           | उत्तर प्रदेश।   |
| 80.     | मसूर   | आईपीएल 225                           | उत्तर प्रदेश।   |
| 81.     | अरहर   | एलआरजी 133-33                        | तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।  |
| 82.     | अरहर   | संकर: आईपीएच 09-5                    | पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तराई क्षेत्र।                 |
| 83.     | अरहर   | आईपीए 15-2                           | पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्से।                               |
| 84.     | अरहर   | डब्ल्यूआरजीई-121                     | कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु।   |
| 85.     | मटर    | एचएफपी1428                           | पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से।         |
| 86.     | अरण्डी | जवाहर अरण्डी -26<br>(जेसी-26)        | मध्य प्रदेश   |



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901  
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]  
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

**का.आ. 500(अ).**—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएंगी, अर्थात्:--

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म                       | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य          |
|---------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|
| (1)     | (2).   | (3)                         | (4)                                   |
| 1.      | चावल   | आरएच 150025 (एडीवी, 8082)   | छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।              |
| 2.      | चावल   | जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468) | छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। |
| 3.      | चावल   | जेकेआरएच 2154               | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार   |

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म  | बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य   |
|---------|--------|--|--|
| (1)     | (2).   | (3)  | (4)  |
| 54.     | मक्का  | एनएमएच -731  | असम।   |
| 55.     | मक्का  | एनएमएच -920  | असम।   |
| 56.     | मक्का  | वीएल क्यूपीएम संकर 59<br>(एफक्यूएच 106)                          | उत्तराखंड (पहाड़ी)।  |
| 57.     | मक्का  | पंत संकर मक्का-5 (पीएसएम-5)                                      | उत्तराखंड (पहाड़ी)।  |
| 58.     | मक्का  | जवाहर मक्का 215 (सीएचएच<br>215)                                  | मध्य प्रदेश।   |
| 59.     | ज्वार  | सीएसएच-42<br>(एसपीएच -1883) (ज्वार)                              | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और,<br>गुजरात।                        |
| 60.     | बाजरा  | एमपी7366<br>(एमएसएच 346)   | राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश,<br>महाराष्ट्र और तमिलनाडु।               |
| 61.     | बाजरा  | वीपीएमएच-7   | कर्नाटक।   |
| 62.     | कुटकी  | सीएलएमवी 1 (जेएआईसीएआर<br>सामा-1/ एलएमवी 518)                    | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,<br>तमिलनाडु और पुदुचेरी।             |
| 63.     | कोदों  | गुजरात आनंद कोड्रा -3 (जीएके-3)                                  | गुजरात।  |
| 64.     | रागी   | सीएफएमवी 2 (एफएमवी 1118)<br>(जीएन-9 /गिरा)                       | आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात,<br>महाराष्ट्र और ओडिशा।                 |
| 65.     | रागी   | सीएफएमवी 1 (इंद्रावती)<br>(एफएमवी 1116)<br>(वीआर 1101)<br>(रागी) | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक,<br>पुदुचेरी और ओडिशा।                   |
| 66.     | रागी   | वीएल मंडुआ 378   | उत्तराखंड।   |
| 67.     | रागी   | वीएल मंडुआ 382   | उत्तराखंड।   |
| 68.     | चना    | जवाहर चना काबुली 6 (जेजीके 6)<br>(जेजीके 2017-32)                | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,<br>राजस्थान और जम्मू और कश्मीर।            |
| 69.     | चना    | राज विजय चना 204 (आरवीजी<br>204)                                 | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़,<br>राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से। |
| 70.     | चना    | राज विजय काबुली चना 2020<br>(आरवीकेजी 2020)<br>(आरवीएसएसजी 63)   | पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और<br>राजस्थान।                                |
| 71.     | चना    | आरजी 2015-08   | छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।  |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102020-222299  
CG-DL-E-08102020-222299

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3099]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2020/आश्विन 15, 1942

No. 3099]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2020/ ASVINA 15, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

**का.आ. 3482(अ).**— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात् यह राय रखते हुए कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) के अधीन की गई विनिर्दिष्ट प्रकार की उक्त सारणी के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार अधिनियम की प्रयोजनार्थ अधिसूचित किस्म या प्रकार होंगी और शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं | प्रकार | किस्म   | विक्रय के लिए अनुसंशित किए गए राज्य |
|--------|--------|---|-------------------------------------|
| (1)    | (2).   | (3)   | (4)                                 |
| 1.     | चावल   | छत्तीसगढ़ चावल संकर-2 (आईआरएच 103) (आई.ई.टी. 24956) | छत्तीसगढ़                           |

|     |                |   |   |
|-----|----------------|---|---|
| 61. | फाक्सटेल बाजरा | रेनादु (एसआईए 3223)                           | आंध्र प्रदेश  |
| 62. | फाक्सटेल बाजरा | हगारी नवाने 46 (एचएन-46)                      | कर्नाटक   |
| 63. | फाक्सटेल बाजरा | एटीएल 1<br>(टीएनएसआई 331)                     | तमिलनाडु  |
| 64. | रागी           | केएमआर- 630                                   | कर्नाटक   |
| 65. | रागी           | वीआर 988                                      | आंध्र प्रदेश  |
| 66. | रागी           | कलुआ<br>(ओईवी 532)                            | ओडिशा   |
| 67. | अनाज राजगीरा   | बीजीए 4-9 (सुवादरा)                           | ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड,<br>महाराष्ट्र एवं गुजरात  |
| 68. | अनाज राजगीरा   | केबीजीए-4                                     | कर्नाटक   |
| 69. | चना            | जवाहर ग्राम 24<br>(जेजी 24)<br>(जेजी 2016-24) | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,<br>छत्तीसगढ़, गुजरात,<br>राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का<br>बुंदेलखंड क्षेत्र |
| 70. | चना (डी)       | आईपीसी 2004-01                                | उत्तर प्रदेश  |
| 71. | चना (डी)       | कोटा देसी चना -1<br>(आरकेजी 13-515)           | राजस्थान  |
| 72. | चना (के)       | कोटा काबुली चना -1<br>(आरकेजीके 13-271)       | राजस्थान  |
| 73. | चना (डी)       | आईपीसी 2011-112                               | उत्तर प्रदेश  |
| 74. | चना            | छत्तीसगढ़ चना- 2<br>(सीजी चना -2)             | छत्तीसगढ़   |
| 75. | चना            | नंदयाल ग्राम 452 (एनबीईजी 452)                | आंध्र प्रदेश  |
| 76. | मटर            | पुसा अरहर- 151 (पुसा 151)                     | बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड,<br>पश्चिम बंगाल एवं असम  |
| 77. | मटर            | राज विजय अरहर 19 (आरवीए 19)<br>(आरवीएसए-16-1) | तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र<br>प्रदेश, तेलंगाना एवं ओडिशा  |
| 78. | मटर            | आईपीए 206                                     | उत्तर प्रदेश  |
| 79. | मटर            | छत्तीसगढ़ अरहर-1 (आरपीएस 2007-10)             | छत्तीसगढ़   |
| 80. | मटर            | वरांगल कंदी-1 (डब्ल्यूआरजीई-97)               | तेलंगाना  |
| 81. | मटर            | कृष्णा (एलआरजी 105)                           | आंध्र प्रदेश  |
| 82. | मटर            | तिरूपत्ति कंदी 59 (टीआरजी-59)                 | आंध्र प्रदेश  |
| 83. | मटर            | गुजरात तूर 105<br>(जीटी-105: जानकी)           | गुजरात  |
| 84. | मूंग           | आज़ाद मूंग 1 (केएम 2342)                      | उत्तर प्रदेश  |
| 85. | मूंग           | एमएच- 1142                                    | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,  |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3220(अ).**—केंद्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के वीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि वीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | किस्म | प्रकार  | विक्री के लिए अनुशंसित राज्य                             |
|---------|-------|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.      | चावल  | भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19) | त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। |
| 2.      | चावल  | मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)             | पश्चिम बंगाल।  |
| 3.      | चावल  | जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)                      | कर्नाटक।   |
| 4.      | चावल  | जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)                        | गुजरात।  |
| 5.      | चावल  | जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)                       | गुजरात।  |
| 6.      | चावल  | शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)                    | जम्मू - कश्मीर।  |

|     |                             |   |   |
|-----|-----------------------------|---|---|
|     | (समई)                       |   |   |
| 53. | रागी                        | जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)                                      | गुजरात।   |
| 54. | रागी                        | तिरूमाला<br>(पीपीआर 1012)                                   | आंध्र प्रदेश।   |
| 55. | रागी                        | वेगावती (वीआर 929)  | आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड,<br>कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी। |
| 56. | जई (सिंगल कट)               | सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225)<br>(शालीमार फोडुर ओट-6)       | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और<br>उत्तराखंड।  |
| 57. | जई (गल कटसिं)               | बुंदेल जय-2015-1  | हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।  |
| 58. | लंबा फेसस्क्यू<br>घास       | पालत फेस्क्यू घास-2 (हिमा 14)                               | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-<br>कश्मीर।                                       |
| 59. | चने की दाल                  | बिलासा कुल्थी (बीएसपी15-1)                                  | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात.  |
| 60. | लोबिया                      | विधान सदाबहार (बीसीसीपी-3)                                  | पश्चिम बंगाल।   |
| 61. | चना                         | पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)                                  | महाराष्ट्र।   |
| 62. | काला चना                    | घंटसाला मिनुमु 1 (जीबीजी 1)                                 | आंध्र प्रदेश।   |
| 63. | मसूर                        | आरवीएल 13-7<br>राज विजय लेन्टिल 13-7)                       | मध्य प्रदेश।  |
| 64. | मसूर                        | RVL 13-5<br>राज विजय लेन्टिल 13-5)                          | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और<br>राजस्थान।                                  |
| 65. | घासपी<br>(लैथिरस<br>सैटिवस) | विधान खेसारी-1 वीके-14-1(एलएटी 15-<br>6)                    | पश्चिम बंगाल।   |
| 66. | मसूर                        | शालीमार मसूर-3  | जम्मू - कश्मीर।   |
| 67. | अरहर                        | रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी<br>2012-25)               | तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश<br>और तेलंगाना।                              |
| 68. | राजमा बीन                   | फुले राजमा (GRB-902)  | महाराष्ट्र।   |
| 69. | उड़दबीन/<br>काला चना        | पंत उड़द 10<br>(पीयू 10-23)                                 | जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और<br>मणिपुर।                               |
| 70. | काबुली चना                  | राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204)<br>(आरवीएसएसजी 8102)        | मध्य प्रदेश।  |
| 71. | काबुली चना                  | राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205)<br>(आरवीएसएसजी 32)          | मध्य प्रदेश।  |
| 72. | काबुली चना                  | राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी<br>111) (आरवीएसएसजी 24) | मध्य प्रदेश।  |
| 73. | काबुली चना                  | राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी<br>151) (आरवीएसएसजी 37) | मध्य प्रदेश।  |
| 74. | काबुली चना                  | पूर्वा (जीएनजी-2299)  | उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड,<br>असम और मणिपुर।                        |





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3220(अ).**—केंद्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के वीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि वीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | किस्म | प्रकार  | विक्री के लिए अनुशंसित राज्य                             |
|---------|-------|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.      | चावल  | भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19) | त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। |
| 2.      | चावल  | मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)             | पश्चिम बंगाल।  |
| 3.      | चावल  | जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)                      | कर्नाटक।   |
| 4.      | चावल  | जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)                        | गुजरात।  |
| 5.      | चावल  | जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)                       | गुजरात।  |
| 6.      | चावल  | शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)                    | जम्मू - कश्मीर।  |

|     |                               |   |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
|     | (समई)                         |   |   |
| 53. | रागी                          | जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)                                      | गुजरात।   |
| 54. | रागी                          | तिरूमाला<br>(पीपीआर 1012)                                   | आंध्र प्रदेश।   |
| 55. | रागी                          | वेगावती (वीआर 929)  | आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड,<br>कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी। |
| 56. | जई (सिंगल कट)                 | सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225)<br>(शालीमार फोडुर ओट-6)       | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और<br>उत्तराखंड।  |
| 57. | जई (गल कटर्स)                 | बुंदेल जय-2015-1  | हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।  |
| 58. | लंबा फेसस्क्यू<br>घास         | पालत फेसस्क्यू ग्रास-2 (हिमा 14)                            | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-<br>कश्मीर।                                       |
| 59. | चने की दाल                    | बिलासा कुल्थी (वीएसपी15-1)                                  | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात.  |
| 60. | लोबिया                        | विधान सदाबहार (वीसीसीपी-3)                                  | पश्चिम बंगाल।   |
| 61. | चना                           | पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)                                  | महाराष्ट्र।   |
| 62. | काला चना                      | घंटमाला मिनुमु 1 (जीवीजी 1)                                 | आंध्र प्रदेश।   |
| 63. | मसूर                          | आरवीएल 13-7<br>राज विजय लेन्टिल 13-7)                       | मध्य प्रदेश।  |
| 64. | मसूर                          | RVL 13-5<br>राज विजय लेन्टिल 13-5)                          | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और<br>राजस्थान।                                  |
| 65. | ग्रासपी<br>(लैथिरस<br>सैटिवस) | विधान खेसारी-1 वीके-14-1(एलएटी 15-<br>6)                    | पश्चिम बंगाल।   |
| 66. | मसूर                          | शालीमार मसूर-3  | जम्मू - कश्मीर।   |
| 67. | अरहर                          | रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी<br>2012-25)               | तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश<br>और तेलंगाना।                              |
| 68. | राजमा बीन                     | फुले राजमा (GRB-902)  | महाराष्ट्र।   |
| 69. | उड़दबीन/<br>काला चना          | पंत उड़द 10<br>(पीयू 10-23)                                 | जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और<br>मणिपुर।                               |
| 70. | काबुली चना                    | राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204)<br>(आरवीएसएसजी 8102)        | मध्य प्रदेश।  |
| 71. | काबुली चना                    | राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205)<br>(आरवीएसएसजी 32)          | मध्य प्रदेश।  |
| 72. | काबुली चना                    | राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी<br>111) (आरवीएसएसजी 24) | मध्य प्रदेश।  |
| 73. | काबुली चना                    | राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी<br>151) (आरवीएसएसजी 37) | मध्य प्रदेश।  |
| 74. | काबुली चना                    | पूर्वा (जीएनजी-2299)  | उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड,<br>असम और मणिपुर।                        |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3220(अ).**—केंद्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के वीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि वीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | किस्म | प्रकार  | विक्री के लिए अनुशंसित राज्य                             |
|---------|-------|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.      | चावल  | भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19) | त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। |
| 2.      | चावल  | मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)             | पश्चिम बंगाल।  |
| 3.      | चावल  | जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)                      | कर्नाटक।   |
| 4.      | चावल  | जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)                        | गुजरात।  |
| 5.      | चावल  | जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)                       | गुजरात।  |
| 6.      | चावल  | शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)                    | जम्मू - कश्मीर।  |

|     |                               |   |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
|     | (समई)                         |   |   |
| 53. | रागी                          | जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)                                      | गुजरात।   |
| 54. | रागी                          | तिरूमाला<br>(पीपीआर 1012)                                   | आंध्र प्रदेश।   |
| 55. | रागी                          | वेगावती (वीआर 929)  | आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड,<br>कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी। |
| 56. | जई (सिंगल कट)                 | सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225)<br>(शालीमार फोडुर ओट-6)       | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और<br>उत्तराखंड।  |
| 57. | जई (गल कटर्स)                 | बुंदेल जय-2015-1  | हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।  |
| 58. | लंबा फेसस्क्यू<br>घास         | पालत फेसस्क्यू ग्रास-2 (हिमा 14)                            | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-<br>कश्मीर।                                       |
| 59. | चने की दाल                    | बिलासा कुल्थी (वीएसपी15-1)                                  | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात।  |
| 60. | लोबिया                        | विधान सदाबहार (वीसीसीपी-3)                                  | पश्चिम बंगाल।   |
| 61. | चना                           | पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)                                  | महाराष्ट्र।   |
| 62. | काला चना                      | घंटमाला मिनुमु 1 (जीवीजी 1)                                 | आंध्र प्रदेश।   |
| 63. | मसूर                          | आरवीएल 13-7<br>राज विजय लेन्टिल 13-7)                       | मध्य प्रदेश।  |
| 64. | मसूर                          | RVL 13-5<br>राज विजय लेन्टिल 13-5)                          | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और<br>राजस्थान।                                  |
| 65. | ग्रासपी<br>(लैथिरस<br>सैटिवस) | विधान खेसारी-1 वीके-14-1(एलएटी 15-<br>6)                    | पश्चिम बंगाल।   |
| 66. | मसूर                          | शालीमार मसूर-3  | जम्मू - कश्मीर।   |
| 67. | अरहर                          | रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी<br>2012-25)               | तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश<br>और तेलंगाना।                              |
| 68. | राजमा बीन                     | फुले राजमा (GRB-902)  | महाराष्ट्र।   |
| 69. | उड़दबीन/<br>काला चना          | पंत उड़द 10<br>(पीयू 10-23)                                 | जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और<br>मणिपुर।                               |
| 70. | काबुली चना                    | राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204)<br>(आरवीएसएसजी 8102)        | मध्य प्रदेश।  |
| 71. | काबुली चना                    | राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205)<br>(आरवीएसएसजी 32)          | मध्य प्रदेश।  |
| 72. | काबुली चना                    | राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी<br>111) (आरवीएसएसजी 24) | मध्य प्रदेश।  |
| 73. | काबुली चना                    | राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी<br>151) (आरवीएसएसजी 37) | मध्य प्रदेश।  |
| 74. | काबुली चना                    | पूर्वा (जीएनजी-2299)  | उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड,<br>असम और मणिपुर।                        |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3220(अ).**—केंद्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के वीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि वीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | किस्म | प्रकार  | विक्री के लिए अनुशंसित राज्य                             |
|---------|-------|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.      | चावल  | भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19) | त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। |
| 2.      | चावल  | मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)             | पश्चिम बंगाल।  |
| 3.      | चावल  | जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)                      | कर्नाटक।   |
| 4.      | चावल  | जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)                        | गुजरात।  |
| 5.      | चावल  | जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)                       | गुजरात।  |
| 6.      | चावल  | शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)                    | जम्मू - कश्मीर।  |

|     |                               |   |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
|     | (समई)                         |   |   |
| 53. | रागी                          | जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)                                      | गुजरात।   |
| 54. | रागी                          | तिरूमाला<br>(पीपीआर 1012)                                   | आंध्र प्रदेश।   |
| 55. | रागी                          | वेगावती (वीआर 929)  | आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड,<br>कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी। |
| 56. | जई (सिंगल कट)                 | सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225)<br>(शालीमार फोडुर ओट-6)       | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और<br>उत्तराखंड।  |
| 57. | जई (गल कटर्स)                 | बुंदेल जय-2015-1  | हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।  |
| 58. | लंबा फेसस्क्यू<br>घास         | पालत फेसस्क्यू ग्रास-2 (हिमा 14)                            | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-<br>कश्मीर।                                       |
| 59. | चने की दाल                    | बिलासा कुल्थी (वीएसपी15-1)                                  | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात.  |
| 60. | लोबिया                        | विधान सदाबहार (वीसीसीपी-3)                                  | पश्चिम बंगाल।   |
| 61. | चना                           | पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)                                  | महाराष्ट्र।   |
| 62. | काला चना                      | घंटमाला मिनुमु 1 (जीवीजी 1)                                 | आंध्र प्रदेश।   |
| 63. | मसूर                          | आरवीएल 13-7<br>राज विजय लेन्टिल 13-7)                       | मध्य प्रदेश।  |
| 64. | मसूर                          | RVL 13-5<br>राज विजय लेन्टिल 13-5)                          | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और<br>राजस्थान।                                  |
| 65. | ग्रासपी<br>(लैथिरस<br>सैटिवस) | विधान खेसारी-1 वीके-14-1(एलएटी 15-<br>6)                    | पश्चिम बंगाल।   |
| 66. | मसूर                          | शालीमार मसूर-3  | जम्मू - कश्मीर।   |
| 67. | अरहर                          | रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी<br>2012-25)               | तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश<br>और तेलंगाना।                              |
| 68. | राजमा बीन                     | फुले राजमा (GRB-902)  | महाराष्ट्र।   |
| 69. | उड़दबीन/<br>काला चना          | पंत उड़द 10<br>(पीयू 10-23)                                 | जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और<br>मणिपुर।                               |
| 70. | काबुली चना                    | राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204)<br>(आरवीएसएसजी 8102)        | मध्य प्रदेश।  |
| 71. | काबुली चना                    | राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205)<br>(आरवीएसएसजी 32)          | मध्य प्रदेश।  |
| 72. | काबुली चना                    | राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी<br>111) (आरवीएसएसजी 24) | मध्य प्रदेश।  |
| 73. | काबुली चना                    | राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी<br>151) (आरवीएसएसजी 37) | मध्य प्रदेश।  |
| 74. | काबुली चना                    | पूर्वा (जीएनजी-2299)  | उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड,<br>असम और मणिपुर।                        |



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3220(अ).**—केंद्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के वीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि वीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | किस्म | प्रकार  | विक्री के लिए अनुशंसित राज्य                             |
|---------|-------|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.      | चावल  | भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19) | त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। |
| 2.      | चावल  | मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)             | पश्चिम बंगाल।  |
| 3.      | चावल  | जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)                      | कर्नाटक।   |
| 4.      | चावल  | जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)                        | गुजरात।  |
| 5.      | चावल  | जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)                       | गुजरात।  |
| 6.      | चावल  | शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)                    | जम्मू - कश्मीर।  |

|     |                               |   |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
|     | (समई)                         |   |   |
| 53. | रागी                          | जीएन-8 (डब्ल्यूएन-585)                                      | गुजरात।   |
| 54. | रागी                          | तिरूमाला<br>(पीपीआर 1012)                                   | आंध्र प्रदेश।   |
| 55. | रागी                          | वेगावती (वीआर 929)  | आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड,<br>कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पांडिचेरी। |
| 56. | जई (सिंगल कट)                 | सेंट्रल फोडुर ओट (एसकेवो-225)<br>(शालीमार फोडुर ओट-6)       | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और<br>उत्तराखंड।  |
| 57. | जई (गल कटर्स)                 | बुंदेल जय-2015-1  | हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।  |
| 58. | लंबा फेसस्क्यू<br>घास         | पालत फेसस्क्यू ग्रास-2 (हिमा 14)                            | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-<br>कश्मीर।                                       |
| 59. | चने की दाल                    | बिलासा कुल्थी (वीएसपी15-1)                                  | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात।  |
| 60. | लोबिया                        | विधान सदाबहार (वीसीसीपी-3)                                  | पश्चिम बंगाल।   |
| 61. | चना                           | पीडीकेवी कंचन (एकेजी-1109)                                  | महाराष्ट्र।   |
| 62. | काला चना                      | घंटमाला मिनुमु 1 (जीवीजी 1)                                 | आंध्र प्रदेश।   |
| 63. | मसूर                          | आरवीएल 13-7<br>राज विजय लेन्टिल 13-7)                       | मध्य प्रदेश।  |
| 64. | मसूर                          | RVL 13-5<br>राज विजय लेन्टिल 13-5)                          | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और<br>राजस्थान।                                  |
| 65. | ग्रासपी<br>(लैथिरस<br>सैटिवस) | विधान खेसारी-1 वीके-14-1(एलएटी 15-<br>6)                    | पश्चिम बंगाल।   |
| 66. | मसूर                          | शालीमार मसूर-3  | जम्मू - कश्मीर।   |
| 67. | अरहर                          | रेड ग्राम (पिजन पी) सीओ 9 (सीआरजी<br>2012-25)               | तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश<br>और तेलंगाना।                              |
| 68. | राजमा बीन                     | फुले राजमा (GRB-902)  | महाराष्ट्र।   |
| 69. | उड़दबीन/<br>काला चना          | पंत उड़द 10<br>(पीयू 10-23)                                 | जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और<br>मणिपुर।                               |
| 70. | काबुली चना                    | राज विजय ग्राम 204 (आरवीजी 204)<br>(आरवीएसएसजी 8102)        | मध्य प्रदेश।  |
| 71. | काबुली चना                    | राज विजय ग्राम 205 (आरवीजी 205)<br>(आरवीएसएसजी 32)          | मध्य प्रदेश।  |
| 72. | काबुली चना                    | राज विजय काबुली ग्राम 111 (आरवीकेजी<br>111) (आरवीएसएसजी 24) | मध्य प्रदेश।  |
| 73. | काबुली चना                    | राज विजय काबुली ग्राम 151 (आरवीकेजी<br>151) (आरवीएसएसजी 37) | मध्य प्रदेश।  |
| 74. | काबुली चना                    | पूर्वा (जीएनजी-2299)  | उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड,<br>असम और मणिपुर।                        |



प्रारूप आरजी - 2  
Form RG - 2



भारत सरकार  
Government of India  
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री  
Trade Marks Registry  
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999  
Trade Marks Act, 1999

क्रमांक  
No. 2293093

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 56 (1)  
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 56 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No. 4133084

दिनांक /Date 30/03/2019

ज. संख्या /J. No. 1903

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह .....  
के बारे में दिनांक ..... नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of :-

RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA, Raja Pancham Singh Marg, Gwalior - 474002, Madhya Pradesh, A Statutory Body, (Statutory Body)

In Class 31 Under No. 4133084 as of the date 30 March 2019 in respect of

Agricultural seeds, agriculture, horticulture, forestry products, wheat, grains, cattle foods

**RAJVIJAY**

मेरे निर्देश पर आज ..... के ..... मास के ..... वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई

Sealed at my direction, this 11<sup>th</sup> day of October, 2019



*OKrajvi*

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री  
Trade Marks Registry MUMBAI

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार  
Registrar of Trademarks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तदोपरान्त वह 10 वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक 10 वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकेगा।

Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years

यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं है।

This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारोबार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में तामीन के लिए पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिए आवेदन तुरत किया जाना चाहिए।

Note: Upon any change of ownership of this Trademark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should AT ONCE be made to register the change.

प्रारूप आरजी - 2  
Form RG - 2



भारत सरकार  
Government of India  
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री  
Trade Marks Registry  
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999  
Trade Marks Act, 1999

क्रमांक  
No. 2293094

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 56 (1)  
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 56 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No. 4133085

दिनांक / Date 30/03/2019

ज. संख्या / J. No. 1903

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह .....  
के बारे में दिनांक ..... नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of :-  
RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA, Raja Pantham Singh Marg, Gwalior - 474002, Madhya Pradesh, A Statutory  
Body, (Statutory Body)

In Class 35 Under No. 4133085 as of the date 30 March 2019 in respect of

Advertising, marketing, sales promotion, services provided by retail stores, wholesale outlets related to Agricultural seeds, agriculture, horticulture, forestry  
products, wheat, grains, cattle foods

RAJVIJAY

मेरे निर्देश पर आज ..... के ..... मास के ..... वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई

Sealed at my direction, this 11<sup>th</sup> day of October, 2019



व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री  
Trade Marks Registry MUMBAI

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार  
Registrar of Trademarks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तदोपरान्त वह 10 वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक 10 वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकता है।

Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.

यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अधिप्राप्त करने के लिए नहीं है।

This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारोबार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में तामील के लिए पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिए आवेदन दुरत किया जाना चाहिए।

Note: Upon any change of ownership of this Trademark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should AT ONCE be made to register the change.



INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA  
PATENTS/DESIGNS/TRADE MARKS  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
व्यापार चिह्न रजिस्ट्री/Trade Marks Registry

बौद्धिक संपदा भवन/Boudhik Sampada Bhawan,  
एस.एम. रोड/S. M. Road,  
एन्टोप हिल/ Antop Hill,  
मुंबई/Mumbai-400037

संख्या: आर एल सी/RLC/248781

दिनांक/Date 11/09/2016 1:27:48  
PM

विषय: पंजीकृत व्यापार चिह्न संख्या 1484851 वर्ग 31

Subject : Renewal of registration of Trade Mark No 1484851 Class 31

आपको यह सूचित किया जाता है कि पंजीकृत व्यापार चिह्न संख्या 1484851 वर्ग 31 का नवीकरण दिनांक 06/09/2016 से अगले 10 वर्षों की अवधि तक किया गया है।

I have to inform you that the Registration of Trade Mark No 1484851 in class 31 has been renewed for a period of Ten years from the 06/09/2016

नवीकरण संबंधी सूचना व्यापार चिह्न पत्रिका संख्या .1763 में विज्ञापित की गई है।

The renewal is being advertised in the Trade Mark Journal No. 1763



भवदीय/Yours faithfully

*KABHOLIS*  
कृते पंजीकार व्यापार चिह्न  
For Registrar of Trade Marks

To,  
IPR LAW ASSOCIATES (MUMBAI)  
GYAN BHAVAN, GROUND FLOOR, 8,  
KUMTHA STREET, BALLARD ESTATE,  
MUMBAI-400 001.

\*This is a computer generated certificate, hence no signature required.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3220(अ).**—केंद्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के वीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि वीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं.<br>(1) | किस्म<br>(2) | प्रकार<br>(3)                                   | विक्री के लिए अनुशंसित राज्य<br>(4)                      |
|----------------|--------------|---|--|
| 1.             | चावल         | भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19) | त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। |
| 2.             | चावल         | मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4)             | पश्चिम बंगाल।  |
| 3.             | चावल         | जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716)                      | कर्नाटक।   |
| 4.             | चावल         | जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031)                        | गुजरात।  |
| 5.             | चावल         | जीएनआर-7 (एनवीएसआर -6128)                       | गुजरात।  |
| 6.             | चावल         | शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408)                    | जम्मू - कश्मीर।  |

|      |                      |  |   |
|------|----------------------|--|---|
| 97.  | पटसन                 | विधान पैट-5 (BCCC-2)                       | पश्चिम बंगाल  |
| 98.  | मेस्टा (लेरोज़)      | एएमवी-8 (एएचएस-216)                        | आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार।   |
| 99.  | एचएस मेस्टा (रोज़ले) | एएमवी 9 (आदित्या) (एएचएस-230)              | आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य।   |
| 100. | एचएस मेस्टा (रोज़ले) | सेंट्रल रोसेले जेआरएचएस-1                  | पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।   |
| 101. | अन्न अमरनाथ          | छत्तीसगढ़ राजगिरा -1<br>(अम्बिका जीए 12-1) | छत्तीसगढ़   |
| 102. | कपास संकर            | जीएन कॉट. एचवाई-18 (जीएसएचएच-2759)         | गुजरात  |
| 103. | कपास                 | आरवीके-11 (राज विजय कपास -11)<br>(आईएच 11) | तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।  |
| 104. | कपास (देशी)          | पीए-740                                    | महाराष्ट्र (मराठवाड़ा क्षेत्र के कपास उगाने वाले क्षेत्र), तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वारिश की स्थिति (दक्षिण क्षेत्र) के तहत। |
| 105. | गन्ना                | स्वर्णमुखी (2005टी16) (सीओटी 10367)        | आंध्र प्रदेश।   |
| 106. | गन्ना                | रंगा (2009 वी 127)<br>(सीओ वी 15-356)      | आंध्र प्रदेश।   |
| 107. | गन्ना                | वीएसआई 12121 (वीएसआई 08005)                | महाराष्ट्र।   |
| 108. | गन्ना                | ईक्षु-6 (सीओएलके 12207)                    | उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम।   |
| 109. | गन्ना                | ईक्षु-7 (सीओएलके 12209)                    | उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम।   |

[फा.सं. 3-71/2019-एसडी-IV]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2019

**S.O. 3220(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, is of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified under column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries under column (2) of the said Table, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the purposes of the Act and shall be sold for purpose of agriculture in the States mentioned in the corresponding entries under column (4) of the said Table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—


### 3.4.2 Number of Patents awarded during the last five years

3.4.2.1: Total number of Patents awarded year-wise during the last five years

| Name of the Faculty/student author of the patent | Patent Number   | Date of Award | Patent Awarding Agency                   |  |
|--|---|---------------|--|--|
| Dr S K Sharma                                    | Copyright Diary No: 17027/2024-CO/A                     | 28.05.2024    | Ministry of Commerce and Industry        | <a href="#">3.4.2\01 Copy rights.pdf</a>                                     |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Kabuli Gram 2021 (RVKG 2021) {S.O. 1560 (E)}  | 26.03.2024    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\02 M Yasin-raj vijay Kabuli gram 2021.pdf</a>              |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Gram 2K21 {S.O. 1560 (E)}                     | 26.03.2024    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\03 M Yasin-raj vijay gram 2k21.pdf</a>                     |
| Tirunima Patle & Dr S K Sharma                   | Application Number 202221026571 Patent Number 429084    | 17.04.2023    | The Patent Office, GOI                   | <a href="#">3.4.2\04 Trunima patle patent.pdf</a>                            |
| Dr Ashok Saxena                                  | Pigeonpea (04), RVSA 14-2, SVRC                         | 12.10.2023    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\18 3.4.2 Seed variety 0001.pdf</a>                         |
| Dr Ashok Saxena & Dr Lekharam                    | Lentil (05), RVL 15-4, SVRC                             | 12.10.2023    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\18 3.4.2 Seed variety 0001.pdf</a>                         |
| Dr Lekharam & Dr Ashok Saxena                    | Urd, RVSU -1, SVRC                                      | 12.10.2023    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\18 3.4.2 Seed variety 0001.pdf</a>                         |
| Dr Lekharam & Dr Ashok Saxena                    | Moong (02), RVSM- 1, SVRC                               | 12.10.2023    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\18 3.4.2 Seed variety 0001.pdf</a>                         |
| Dr Induswoorup                                   | Moong (02), RVIM 750-1, SVRC                            | 12.10.2023    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\18 3.4.2 Seed variety 0001.pdf</a>                         |
| Dr Sudhanshu Jain                                | Wheat (03), TRVW 155, SVRC                              | 12.10.2023    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\18 3.4.2 Seed variety 0001.pdf</a>                         |
| Dr S R Ramgiriy                                  | Raj Vijay Soybean 76 (RVS 76) {S.O. 2986 (E)}           | 20.07.2021    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\05 S R Ramgiriy raj vijay soybean 76 (RVS 76).pdf</a>      |
| Dr M K Saxena                                    | Safflower (04), RVSF 18-3, SVRC                         | 06.03.2023    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\17 -06 march 23244182.pdf</a>                              |
| Dr M K Saxena                                    | Safflower (04), RVSF 18-1, Cetrally Notified            | 04.12.2021    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\05 notification-variety-of-seeds-26.09.2023-1.pdf</a>      |
| Dr S R Ramgiriy                                  | Soybean (06), RVS 124 (Raj vijay soybean 124)           | 12.10.2023    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\18 3.4.2 Seed variety 0001.pdf</a>                         |
| Dr V K Tiwari                                    | Soybean (06), RVSM 2011-35, S.O.2986 (E)                | 20.07.2021    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\Dr V K Tiwari RVSM 2011-35 Minutes of 86th meeting.pdf</a> |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Gram 210 {S.O. 500 (E) 05.01.2021}            | 29.01.2021    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\06 M Yasin-raj vijay gram 204.pdf</a>                      |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Gram 204 (RVG 204) {S.O. 500 (E)}             | 29.01.2021    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\07 M Yasin-raj vijay gram 210.pdf</a>                      |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Kabuli Gram 121 (RVKG 121) {S.O. 500 (E)}     | 29.01.2021    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\08 M Yasin-raj vijay Kabuli gram 121.pdf</a>               |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Kabuli Gram 2020 (RVKG 2020) {S.O. 500 (E)}   | 29.01.2021    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\09 M Yasin-raj vijay Kabuli gram 2020.pdf</a>              |
| Dr A N Tikle                                     | Raj Vijay Sehore Arhar 16-1 (RVSA 16-1) {S.O. 3482 (E)} | 07.10.2020    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\10 A N TIKLE RVSA 16-1.pdf</a>                             |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Gram 205 (RVG 205) {S.O. 3220 (E)}            | 05.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\11 M Yasin-raj vijay gram 205.pdf</a>                      |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Kabuli Gram 151 (RVKG 151) {S.O. 3220 (E)}    | 05.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\12 M Yasin-raj vijay Kabuli gram 111.pdf</a>               |
| Dr M Yasin                                       | Raj Vijay Kabuli Gram 111 (RVKG 111) {S.O. 3220 (E)}    | 05.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\13 M Yasin-raj vijay Kabuli gram 151.pdf</a>               |
| Dr A K Saxena                                    | Raj Vijay Lentil 13-5 (RVL 13-5) {S.O. 3220 (E)}        | 05.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\14 A K saxena raj vijay lentil 13-5.pdf</a>                |
| Dr A K Saxena                                    | Raj Vijay Lentil 13-7 (RVL 13-7) {S.O. 3220 (E)}        | 05.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\15 A K saxena raj vijay lentil 13-7.pdf</a>                |
| RVSKVV, GWALIOR                                  | RAJVIJAY TRADE MARK                                     | 30.03.2019    | GOI Trade Marks Registry                 | <a href="#">3.4.2\16 Rajvijay Trademark 0001.pdf</a>                         |
| Dr D K Shrivastav                                | Cotton (02), RVK 11, (SO 3220 (E))                      | 06.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry | <a href="#">3.4.2\RVK 11 S.O. 3220(E)2019.pdf</a>                            |
| Dr H Patidar                                     | Safed Musali (02), Raj Vijay Safed Musli-412, SVRC      | 26.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry |  |
| Dr H Patidar                                     | Asalio / Chandrasoor, Raj Vijay Asalio-1001, SVRC       | 26.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry |  |
| Dr K S Tomar                                     | Guava (04), Gwalior-Bahar, SVRC                         | 26.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry |  |
| Dr K S Tomar                                     | Guava, Gwalior-8, SVRC                                  | 26.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry |  |
| Dr K S Tomar                                     | Guava, Gwalior-21, SVRC                                 | 26.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry |  |
| Dr K S Tomar                                     | Guava, Gwalior-27, SVRC                                 | 26.09.2019    | Agriculture and Farmers welfare Ministry |  |

In case of patents obtained outside India, provide us one of the following:

1. If the Indian Patent application is filed for the corresponding foreign patent, please provide us the current status of the Indian Patent application
2. If you have filed the foreign patent without filing corresponding Indian Patent application, please provide us a copy of foreign filing license obtained from Indian Patent office as per Section 39 of Indian I

  
 DIRECTOR RESEARCH SERVICES  
 R.V.S. V.V., Gwalior (M.P.) 474 002